न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी—बाड़मेर
(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2025 / 581 दर्ज तिथिः—18.08.2025

1. गोबराराम पुत्र मांगाराम
2. कृष्ण पुत्र भावा
3. केसाराम पुत्र अनाराम
4. गेनाराम पुत्र जवाराराम
5. गिरधारीराम पुत्र जवाराराम
6. गोदाराम पुत्र अनाराम
7. चेलाराम पुत्र अनाराम
8. जगताराम पुत्र जवाराराम
9. जुंजाराम पुत्र अनाराम
10. पदमा पुत्र भावा
11. पूनमाराम पुत्र जवाराराम
12. पाबूदेवी पत्नी अनाराम
13. बगाराम पुत्र अनाराम
14. मजनाराम पुत्र जवाराराम
15. मलाराम पुत्र अनाराम
16. लखाराम पुत्र अनाराम
17. हका पुत्र भावा

जाति मेघवाल निवासी लूणवा खुर्द गुड़ामालानी—बाड़मेर

.......................प्रार्थीगण

बनाम

1. आदू पुत्र ओपा
2. ईशराम पुत्र नोनजी
3. एजनों पत्नी पन्नाराम
4. खेता पुत्र भाना
5. गंगाराम पुत्र कचराराम
6. गुमनाराम पुत्र सुजानाराम
7. गोबराराम पुत्र पनाराम
8. घेवाराम पुत्र सुजानाराम
9. चुनाराम पुत्र सुजानाराम
10. चैनाराम पुत्र पनाराम

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

11. चेलाराम पुत्र वनाराम
12. छगना पुत्र भाना
13. जोगाराम पुत्र नोनजी
14. तुलसी पत्नी ओपा
15. नारणाराम पुत्र पनाराम
16. पदमाराम पुत्र पनाराम
17. प्रतापा पुत्र भाना
18. प्रहलादराम पुत्र सुजानाराम
19. भगा पुत्र ओपा
20. भूपा पुत्र भाना
21. भूपाराम पुत्र वनाराम फौत के कायममुकाम
    21/1 कपुराराम गोदपुत्र भूपाराम
22. भारता पुत्र ओपा
23. मेवा पुत्र भाना
24. माधा पुत्र दुदा
25. मानाराम पुत्र नोनजी
26. माहींगा पुत्र दुदा
27. राणा पुत्र ओपा
28. लाधाराम पुत्र कचराराम
29. वरजु पत्नी भाना
30. सांवलाराम पुत्र वनाराम
    जाति मेघवाल निवासी लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

........................असल विप्रार्थीगण

31. शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा गुड़ामालानी
32. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुड़ामालानी–बाड़मेर।

..........................तकमीली विप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री डालूराम चौधरी
अप्रार्थीगणः–एकतरफा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–251ए
राजस्थान काश्तकारी अधि.–1955

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–05.12.2025

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण की खातेदारी आराजी 200/5.5037 है0 वाके ग्राम लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी में पहुँच के प्रयोजन के लिए मौके पर खसरा संख्या 226/12.1487 है0 तथा 199/1.8454 है0 वाके ग्राम लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी से होते नवीन रास्ते में विप्रार्थीगण की खातेदारी आराजी में से प्रार्थीगण के आवागमन हेतु रिकॉर्डेड रास्ते का अभाव है। अतः खसरा संख्या

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

226 / 12.1487 है0 तथा 199 / 1.8454 है0 वाके ग्राम लूणवा खुर्द से होकर करीब 3 गठ्ठा चौडाई का नवीन रिकॉर्डेड रास्ता हेतु अनुतोष चाहा गया है। अंत में प्रार्थी की आराजीयात तक कोई रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है तथा उक्त आवेदित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई लघुत्तम मार्ग का विकल्प नहीं होने के कारण उक्त आवेदित रास्ते को करीब 3 गठ्ठा चौडाई में रिकॉर्ड में दर्ज कर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण के विधिवत उपस्थित नहीं होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गयी।

मौका रिपोर्ट

3. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अनुसार पुनः मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 के अनुसार प्रेषित पुनः मौका रिपोर्ट तैयार करने में अपनायी गई प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः—

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or	भू—अभिलेख निरीक्षक, रतनपुरा मय पटवारी मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records	प्रकरण में दिनांक 12.11.2025 को भू—अभिलेख द्वारा मय पटवारी स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त प्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु नोटिस द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त अप्रार्थीगण को मौका निरीक्षण हेतु नोटिस द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 12.11.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट का नजरी नक्शा निम्न प्रकार हैः—

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

दिनांक : 12/11/2025 04:54:04 PM

जिला : बाड़मेर तहसील : गुढ़ामलानी भू. अ. नि. क्षेत्र : रतनपुरा

पटवारी हल्का : लूणवा जागीर ग्राम : लूणवा खुर्द

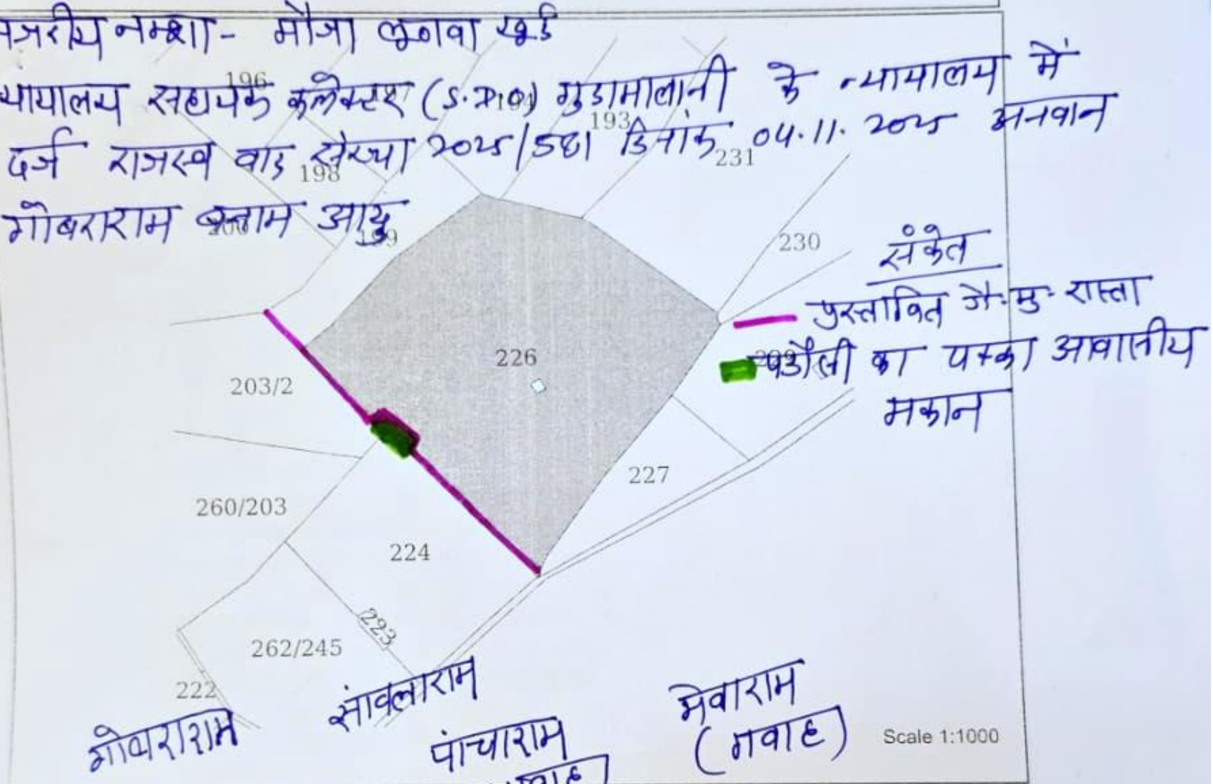

खसरा संख्या :226 क्षेत्रफल : 12.1325 Hectare खाता संख्या : 22 पुरानी खाता संख्या :21

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: बा.सोयम [12.1325, 54.23]

1.) आदू पुत्र ओपा हिस्सा- 1/105 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
10.) चैनाराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
11.) चेलाराम पुत्र वनाराम हिस्सा- 1/63 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/63 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा GUDA MALANI
12.) छगना पुत्र भाना हिस्सा- 1/18 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
13.) जोगाराम पुत्र नोनजी हिस्सा- 1/63 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
14.) तुलसी पत्नि ओपा हिस्सा- 1/105 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
15.) नारणाराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/15 (पूर्ण खाता) SBBJ शाखा गुडामालानी
16.) पदमाराम पुत्र पनाराम हिस्सा- 1/15 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
17.) प्रतापा पुत्र भाना हिस्सा- 1/18 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार हिस्सा-1/18 (पूर्ण खाता) SBI शाखा गुडा
18.) प्रहलादराम पुत्र सुजानाराम हिस्सा- 1/84 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
19.) भगा पुत्र ओपा हिस्सा- 1/105 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
2.) ईराराम पुत्र नोनजी हिस्सा- 1/63 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
20.) भूपा पुत्र भाना हिस्सा- 1/18 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
21.) भूपाराम पुत्र वनाराम हिस्सा- 1/63 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
22.) भारता पुत्र ओपा हिस्सा- 1/105 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
23.) मेवा पुत्र भाना हिस्सा- 1/18 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
24.) माधा पुत्र दुदा हिस्सा- 1/21 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
25.) मानाराम पुत्र नोनजी हिस्सा- 1/63 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
26.) माहीगा पुत्र दुदा हिस्सा- 1/21 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार
27.) राणा पुत्र ओपा हिस्सा- 1/105 जाति- मेघवाल सा. देह खातेदार

राजकीय कार्य हेतु प्रमाणित नक्शा

12.11.2025

पटवारी (भू.अ.) लूणवा जागीर
तहसील गुड़ामालानी

12/11/25

मुंगली राम
निरीक्षक (भू.अ.) रतनपुरा
तह. गुड़ामालानी (बाड़मेर)

12.11.2025

पटवारी (भू.अ.) लूणवा जागीर
तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

कानूनी—प्रावधान

4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार की मौका—रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है—

> ***251A. Laying of underground pipeline or opening a new way through another khatedar's holding or enlarging the existing way.*** *- (1) Where -*
> *(a) a tenant intends to lay an underground pipeline through the holding of another khatedar for the purpose of irrigation of his holding; or*
> *(b) a tenant or a group of tenants intend to have a new way, or enlargement or widening of an existing way, through the holding of another khatedar to have access to his holding or, as the case may be, their holdings of and the matter is not settled by mutual agreement, the tenant or the tenants, as the case may be, may apply for such facility to the Sub-Divisional Officer concerned, and the Sub-Divisional Officer, if he is satisfied after a summary inquiry, that*
> *(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and*
> *(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access proved may, be order, allow the applicant, to lay pipeline, at least three feet beneath the surface of the land, along 'the line demarcated or pointed out by the tenant who holds that land, or to have a new way. not wider than thirty feet, through the land on such track as pointed out by the tenant who holds that land, and if no such track is pointed out, through the shortest or nearest route, or to enlarge or widen the existing way, not exceeding up to thirty feet, on payment of such compensation as may be determined by the Sub-Divisional Officer, in the prescribed manner, to the tenant who holds the land through which the right to lay pipeline or have a new way or enlarge or widen an existing way is granted or in lieu of payment of compensation,* ***on transfer of land in exchange of equal area in the name of such tenant preferably having the same price and adjoining to his land.***
> *(2) Where a right to have a new way or enlarge or widen an existing way is granted under sub-section (1), the tenancy in respect of the land comprising such way shall be deemed to have been extinguished and the land shall be recorded as rasta in the revenue records.*
> *(3) The persons permitted to avail any of the facilities referred to in sub-section (1) shall not, by virtue of the said facility, acquire any other right in the holding through which such facility is granted.*

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—'क' के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

> ***68. Application under Sec. 251-A.*** *- An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.*
> ***69. Enquiry and disposal of application.*** *- On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

(i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and

(ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. *- (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-*

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

विश्लेषण

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा 251—क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी खातेदारी आराजी तक कृषि कार्य बाबत् आमद—रफत हेतु अन्य खातेदारों की खातेदारी आराजी में से होकर कुछ शर्तों के अधीन नवीन रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—क निम्न पूर्वशर्तो को आरोपित करती है जो इस प्रकार है—

1. *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।*
2. *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता।*
3. *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।*

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता

7. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—251—क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम—1955 के नियम—68 लगायत 70 द्वारा अध्यारोपित उक्त पूर्वशर्तो के तहत प्रकरण का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। सर्वप्रथम प्रथम शर्त *प्रार्थी हेतु रास्ते बाबत् अन्य रिकॉर्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत सर्वप्रथम यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अथवा नहीं। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

1. प्रथम स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर चालू है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते से ही आवागमन करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता पूर्व से उपलब्ध है और उक्त रिकॉर्डेड रास्ता मौके पर अतिक्रमण की वजह से चालू नहीं है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी को उक्त रिकॉर्डेड रास्ते को मौके पर अतिक्रमण हटवाकर चालू करवाने के लिये संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्यवाही करते हुए अनुतोष प्राप्त करना चाहिए। इस स्थिति में उक्त आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में अगर प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थना—पत्र को प्रथम शर्त को पुष्ट मानते हुए द्वितीय शर्त पर परखा जाना चाहिए।

सत्यमेव जयते

8. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या—3 में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इस प्रकार प्रकरण उक्त तृतीय स्थिति के अंतर्गत आता है एवं शर्त संख्या 01 की पूर्णरूप से पुष्टि प्रतीत होती है।

रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता

9. प्रथम शर्त की पुष्टि पश्चात् द्वितीय शर्त *खातेदार की रास्ते बाबत् आत्यान्तिक आवश्यकता* का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न तीन स्थितियां सामने आती हैंः—

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से आरम्भ होकर प्रार्थी की आराजी तक नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड एवं विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते से आगे अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंचने वाले लेकिन रिकॉर्ड में दर्ज नहीं होकर केवल मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क को धारा–251–ए के तहत विद्यमान मौके पर चालू कदीमी रास्ते / सड़क की चौड़ाई या विस्तारित चौड़ाई के रास्ते पर नवीन रिकॉर्डेड रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि प्रार्थी द्वारा पूर्व से ही विद्यमान / मौके पर चालू रास्ते को ही रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु रास्ता चाहा गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आवश्यकता आत्यांतिक प्रतीत होता है। उक्त स्थिति में भी प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

3. तृतीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह संशय उत्पन्न होता है कि प्रार्थी द्वारा गलत मंशा से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता आत्यांतिक नहीं होकर केवल सुविधाजनक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि नहीं करता प्रतीत होता है।

4. चतुर्थ स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता पूर्व से ही दर्ज रिकॉर्ड / कट्टाण रास्ते / सड़क से कोई संबंध नहीं रखता है तथा प्रार्थी द्वारा केवल एक या एक से अधिक खसरों से होकर नवीन रास्ता चाहा गया है। ऐसी स्थिति में प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु सम्पूर्ण रास्ते को रिकॉर्ड में दर्ज करवाने हेतु अनुतोष नहीं चाहा गया है। यहां यह स्थिति हो सकती है कि जिन खसरों से रास्ते का अंकन नहीं चाहा गया है वो कोई प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि यथा–चारागाह, नदी, नाले आदि के खसरे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिबंधित भूमि किस्म या सामलाती भूमि से होकर रास्ते के अंकन की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी स्थिति में केवल खातेदारी भूमि से होकर रास्ते का अंकन तथा प्रतिबंधित भूमि में रास्ते का गैर–अंकन अपेक्षित होता है। इस स्थिति में प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु वास्तव में रास्ते की आवश्यकता

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

आत्यांतिक प्रतीत होती है। उक्त स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र द्वितीय शर्त की पुष्टि करता प्रतीत होता है।

10. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/2025/1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ते का अंकन नहीं होना स्पष्ट किया गया है। प्रकरण में राजस्व ग्राम लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी के राजस्व नक्शे में प्रासंगिक भाग के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक विद्यमान रास्ते से मुख्य सड़क तक पहुंच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। उक्त प्रकरण स्थिति संख्या 01 के अंतर्गत आता है। इस प्रकार प्रकरण में प्रार्थी को नवीन रास्ते की आवश्यकता केवल सुविधाजनक नहीं होकर आत्यांतिक प्रतीत होती है। इस प्रकार शर्त संख्या 02 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है।

लघुत्तम मार्ग का निर्धारण

11. अतः उक्त विश्लेषण के अनुसार शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क तथा राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम–1955 के नियम–68 लगायत 70 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होने के पश्चात् न्यायालय द्वारा तृतीय शर्त *लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव* बिन्दु पर विश्लेषण किया जाना है कि उक्त नवीन रास्ता किस आराजी में से होकर किस रूट से होकर कितनी चौडाई का **लघुत्तम मार्ग** रास्ता का अनुतोष स्वीकार किया जाना है। उक्त प्रावधान के अंतर्गत यह देखा जाना आवश्यक है कि प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक पहुंच हेतु प्रार्थना–पत्र में आवेदित रास्ते ही लघुत्तम रास्ता है अथवा अप्रार्थी/तहसीलदार मौका रिपोर्ट द्वारा लघुत्तम रास्ते का अन्य कोई विकल्प प्रस्तावित किया गया है। उक्त शर्त के विश्लेषण में निम्न दो स्थितियां सामने आती हैं:–

1. प्रथम स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता ही लघुत्तम रास्ते का विकल्प है। इस हेतु संबंधित तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण से उक्त शर्त की पुष्टि किया जाना आवश्यक है। उक्त स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते को ही लघुत्तम रास्ता माना जाना व्यावहारिक/कानूनन प्रतीत होता है।

2. द्वितीय स्थिति में प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ता के अतिरिक्त अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते का विकल्प प्रस्तावित किया जाता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार की मौका रिपोर्ट/स्वयं पीठासीन अधिकारी के मौका निरीक्षण एवं पत्रावली के तथ्यों व राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के साथ–साथ निम्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते/नजदीकी रास्ते के मार्ग का निर्धारण किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है:–

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

स्थिति	विवरण
1.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की सीमा।
2.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की लम्बाई एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की लम्बाई के अंतर की व्यावहारिकता।
3.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प की प्रार्थी की रहवास/घर के संदर्भ में व्यावहारिकता।
4.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की अप्रार्थी की खातेदारी आराजी के रकबे के संदर्भ में व्यावहारिकता।
5.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प में आने वाली आराजी के रकबे की क्षतिपूर्ति की प्रकृति (राशि/भूमि के बदले भूमि) के संदर्भ में व्यावहारिकता।
6.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर अप्रार्थीगणों के मध्य सहमति/असहमति के संदर्भ में व्यावहारिकता।
7.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर प्रार्थी द्वारा पूर्व से आमद–रफत के संदर्भ में व्यावहारिकता।
8.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अन्य काश्तकारों को होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
9.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर निर्माण/वृक्ष व अन्य सम्पतियों की अवस्थिति के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
10.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प से अप्रार्थी के खसरे/संयुक्त खसरों/मौके पर एकल चकबंदी के खसरों के विखण्डन के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
11.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों की संख्या के दृष्टिकोण के संदर्भ में व्यावहारिकता।
12.	प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तावित/तहसीलदार की मौका रिपोर्ट द्वारा किसी अन्य लघुत्तम रास्ते/नजदीकी रास्ते का प्रस्तावित विकल्प पर आने वाले खसरे/खसरों के खातेदारो की एकलता/बहुलता के दृष्टिकोण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

	के संदर्भ में व्यावहारिकता।
13.	अन्य बिन्दु जो न्यायालय प्रकरण–दर–प्रकरण आवश्यक समझे।

12. प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 200 / 5.5037 तक पहुच हेतु रास्ते के संबध में एक ही विकल्प प्रस्तावित किये हैं।

13. प्रकरण में उक्त विश्लेषण के साथ प्रकरण में यथासंभव समस्त तथ्यों का विश्लेषण के पश्चात् तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24. 11.2025 के द्वारा प्रस्तावित रास्ते को ही लघुत्तम मार्ग पाना उचित प्रतीत होता है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम / नजदीकी मार्ग का विकल्प तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट द्वारा प्रस्तावित गुलाबी रंग से अंकित का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्ष

14. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251–क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क काबिल–ऐ स्वीकार है। अतः तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / भू0अ0 / 2025 / 1685 दिनांक 24.11.2025 द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार खसरा संख्या 200 / 5.5037 है0 मौजा लूणवा खुर्द तहसील गुड़ामालानी तक अप्रार्थी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 226 / 12.1487 है0 तथा 199 / 1.8454 है0 वाके ग्राम लूणवा खुर्द के सेढासेढ से होकर नवीन रास्ता हेतु प्रस्तावित गुलाबी रंग से अंकित लघुत्तम / नजदीकी मार्ग पर बतौर 3 गठ्ठा चौडाई में गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान पश्चात् राजस्व रिकार्ड में सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार गुड़ामालानी की पत्रांक/भू0अ0/2025/1685 दिनांक 24.11.2025 को प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन पश्चात विश्लेषित निष्कर्ष प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेश दिये जाते है कि पत्रांक/भू0अ0/2025/1685 दिनांक 24.11.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट के प्रस्ताव में

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested

आराजी हाल खसरा संख्या 226/12.1487 है0 तथा 199/1.8454 है0 वाके ग्राम लूणवा खुर्द से होकर गुलाबी रंग से प्रदर्शित लम्बाई एवं 3 गठ्ठा चौडाई के रास्ते में आयी भूमि एवं निर्माण के एवज में राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम—70 के अनुसार क्षतिपूर्ति राशि आंकलित कर नियमानुसार क्षतिपूर्ति राशि के नियमानुसार भुगतान पश्चात् अथवा अथवा प्रार्थी द्वारा उक्त नवीन रास्ते में आयी भूमि के एवज में समान अवस्थिति पर समान रकबे की भूमि का विकल्प के आधार पर उक्त नवीन रास्ते को खाता संख्या—1 सिवायचक में सार्वजनिक उपयोग हेतु किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर अंकन किया जावें। पत्रांक/भू0अ0/2025/1685 दिनांक 24.11.2025 की मौका जॉच रिपोर्ट व नजरी नक्शा तथा पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुड़ामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 05.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.13 16:13:32 IST
Reason: SelfAttested